

सं. 17015/87/2013-आई एस-1

भारत सरकार  
गृह मंत्रालय  
(आई एस-1 प्रभाग)

\*\*

नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली-110001,  
दिनांक: 06 मार्च, 2014

सेवा में

✓ श्री चिटू मांगीलाल जैन,  
151, रैड क्रॉस भवन,  
बस स्टैंड के सामने,  
नानी दमण-396210,

विषय : सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत सूचना मांगे जाने के संबंध में।

\*\*\*

महोदय,

मुझे सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत विभिन्न सूचना मांगे जाने के संबंध में संयुक्त सचिव (यू टी), केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी, गृह मंत्रालय को संबोधित आपके दिनांक 28.12.2013 के आवेदन का संदर्भ लेना है जिसे सुश्री नीता गुप्ता, उप सचिव एवं केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी के दिनांक 21.02.2014 के पत्र सं.13034/494/2013-सी पी डी-प्लानिंग के द्वारा अधोहस्ताक्षरी केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी सहित (27.02.2014 को प्राप्त) इस मंत्रालय के सभी केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारियों को अंतरित किया गया था।


2. इस संबंध में बिन्दुवार उत्तर निम्नानुसार दिया गया है:-

बिंदु सं. 1 से 11 : चूंकि यह विषय-वस्तु अधोहस्ताक्षरी केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी से संबंधित नहीं है, इसलिए सूचना 'शून्य' मानी जाए।


3. सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19(1) के तहत, इस उत्तर की प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर एक अपील उस प्रथम अपील प्राधिकारी के सम्मुख दायर की जा सकती है, जिसका विवरण नीचे दिया गया है:-

श्री राकेश सिंह,  
संयुक्त सचिव (आई एस-1),  
गृह मंत्रालय,  
नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली-110001

भवदीय,

  
06.03.2014

(राजेश कुमार गुप्ता)  
निदेशक (आई एस-1) एवं  
केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी



F.No.13034/494/2013-CPD-Plg.Cell  
Government of India  
Ministry of Home Affairs

New Delhi, the 21<sup>st</sup> February, 2014

To

Shri Chintu Mangilal Jain  
151, Red Cross Bhawan,  
Opp-Bus Stand,  
Nani Daman - 396210

**Sub.: Information under RTI Act, 2005.**

Sir,


Please refer to your RTI application dated 28.12.2013 (received in the office of undersigned on 3<sup>rd</sup> February, 2014) seeking information under RTI Act, 2005 has been transferred to the undersigned for appropriate action.

2. Your RTI application is being transferred to the CPIOs of Ministry of Home Affairs under sub section (3) of Section 6 of RTI Act, 2005 with the request to furnish the requisite information directly to the applicant. The information in respect of Sections under the charge of undersigned will be sent shortly.

3. The name and address of the Appellate Authority in terms of Section 19 of the RTI Act. 2005 is given below:-

Shri Iqbal Singh Chahal,  
Joint Secretary (UT).MHA,  
North Block,  
New Delhi.

Yours faithfully,



(Neeta Gupta)

Dy. Secretary (ANL)&CPIO

The copy of application dated 28.12.2013, of Shri Chintu Mangilal Jain is forwarded to all CPIOs in MHA. They may send reply to the applicant directly.

D-3 c/c  
USC/STI  
2015/22/28/1/14

48(RA)/2014  
6/1/14

प्रपत्र - 1 - ए

CR-131111/JS(LT)/14


3/1 (14)

294


सूचना के लिए आवेदन प्रपत्र  
(अंग्रेजी भाषा क्षेत्रीय/हिंदी/में भरा जाये)

दिनांक: 28/12/2013

सेवा में,  
संयुक्त सचिव (यू.टी),  
केंद्रीय जन सूचना अधिकारी  
गृह मंत्रालय  
नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली.



(अ) आवेदक का विवरण :-



चिन्द्र मांगिलाल जैन  
प्रधान संपादक  
क्रांति भास्कर

31 वर्ष

151, रेड क्रॉस भवन, नानी दमन  
बस स्टैंड के सामने, नानी दमन-396210  
फोन - 09408887777

(ब) जानकारी का ब्योरा मांगा :-

1. संध प्रदेश दमन-दीव लोक सभा सांसद द्वारा गृह मंत्रालय तथा गृह सचिव एवं संयुक्त सचिव यू-टी के कार्यालय में प्राप्त हुए, निवेदन/आदेश/शिफारिश/शिकायत तथा अन्य प्राप्त पत्रों की दिनांक जनवरी 2010 से नवम्बर 2013 तक कि, नीचे लिखी निम्नलिखित सूचना उपलब्ध कराएं।
2. उक्त समय में कुल कितने पत्र प्राप्त हुए।
3. उक्त समय में प्रति वर्ष कितने पत्र प्राप्त हुए।
4. पत्रों की दिनांक एवं विषय उपलब्ध कराएं तथा उक्त प्राप्त पत्रों का आवक एवं जावक संख्या उपलब्ध कराएं।
5. कृपया पत्रों के अनुसार जानकारी उपलब्ध कराएं की, उक्त पत्रों के जावाब/समाधान हेतु पत्र किसे अग्रेसित किया गया, अग्रेसित करने की दिनांक तथा अग्रेसित पर प्राप्त टिप्पणी, तथा वास्तविक स्थिति उपलब्ध कराएं।
6. उक्त समय में प्राप्त सभी पत्रों की प्रमाणित प्रति उपलब्ध कराएं।
7. उक्त पत्रों में भ्रष्टाचार का विषय तथा भ्रष्टाचार की समस्या के प्रति कुल कितने पत्र प्राप्त किए।
8. उक्त पत्रों के माध्यम से कितने विषयों में जांच की मांग की गई, तथा किस संबंध में जांच की मांग की गई।

RTH

JS(LT)  
3/1/14

3/1/14

JS(LT)  
JS(RA)

31/1/14

JS(LT)

URGENT  
Naga file M  
3/2  
MS(R)


9. उक्त नाम अधिकारियों के तबादले की मांग की गई। उक्त अधिकारियों के लिए, तथा पत्रों की प्रमाणित प्रति उपलब्ध कराएं।
10. उक्त अधिकारियों के तबादले रोकने की मांग की गई। उक्त अधिकारियों के तबादले, पदनाम उपलब्ध कराएं, तथा पत्रों की प्रमाणित प्रति उपलब्ध कराएं।
11. उक्त समय में निवेदन/आदेश/शिफारिश तथा अन्य प्राप्त पत्रों की प्रमाणित प्रति उपलब्ध कराएं।
12. सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6 (3) के रूप में लागू किया जाए, कृपया और जहां जरूरी हो सकता है

(स) फार्म /जानकारी मांगी है जिसमें प्रारूप:

- (i) फोटो कॉपी  
 (ii) ई-मेल के माध्यम से [cmjain777@gmail.com](mailto:cmjain777@gmail.com)  
 (iii) (कॉम्पैक्ट डिस्क) (सीडी) में यदि कोई हो, उसी के लिए निर्धारित शुल्क का भुगतान करने के लिए तैयार हूँ.

(द) अभिलेखों के निरीक्षण:

- (i) रिकॉर्ड का निरीक्षण करने के अनुरोध से संबंधित है? हां (नहीं) /: नहीं  
 (ii) यदि हाँ, दिन आवेदक की संख्या प्रासंगिक रिकॉर्ड का निरीक्षण करने में समय लग सकता है. \_\_\_\_\_ दिन.

  
 आवेदक के हस्ताक्षर.

कार्यालय उपयोग के लिए केवल

आवेदन प्राप्त करने की तिथि:

जानकारी की आपूर्ति करने की तिथि:

दिन (30)के भीतर. मूल्यांकन :Rs. \_\_\_\_\_

नाम और पदनाम के साथ हस्ताक्षर  
 जन सूचना अधिकारी की

रसीद

मैं अपने आवेदन के अनुसार जानकारी प्राप्त की और मैं संतुष्ट हूँ

आवेदक के हस्ताक्षर  
 दिनांक: / /

आर टी आई मामला

सं. 17015/87/2013-आई एस-1

भारत सरकार  
गृह मंत्रालय  
(आई एस-1 प्रभाग)

\*\*

नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली-110001,  
दिनांक: 06 मार्च, 2014

सेवा में

श्री चिटू मांगीलाल जैन,  
151, रैंड क्रास भवन,  
बस स्टैण्ड के सामने,  
नानी दमण-396210,

विषय : सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत सूचना मांगे जाने के संबंध में आवेदन।

\*\*\*

महोदय,


मुझे सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत विभिन्न सूचना मांगे जाने के संबंध में संयुक्त सचिव (यू टी), केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी, गृह मंत्रालय को संबोधित आपके दिनांक 27.12.2013 के आवेदन का संदर्भ लेना है जिसे सुश्री नीता गुप्ता, उप सचिव एवं केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी के दिनांक 21.02.2014 के पत्र सं.13034/494/2013-सी पी डी-प्लानिंग के द्वारा अधोहस्ताक्षरी केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी सहित (27.02.2014 को प्राप्त) इस मंत्रालय के सभी केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारियों को अंतरित किया गया था।

2. इस संबंध में बिन्दुवार उत्तर निम्नानुसार दिया गया है:-

बिंदु सं. 1 से 11 : चूंकि यह विषय-वस्तु अधोहस्ताक्षरी केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी से संबंधित नहीं है, इसलिए सूचना 'शून्य' मानी जाए।

3. सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19(1) के तहत, इस उत्तर की प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर एक अपील उस प्रथम अपील प्राधिकारी के सम्मुख दायर की जा सकती है, जिसका विवरण नीचे दिया गया है:-

श्री राकेश सिंह,  
संयुक्त सचिव (आई एस-1),  
गृह मंत्रालय,  
नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली-110001



भवदीय,

*rajesh*  
06.03.2014

(राजेश कुमार गुप्ता)

निदेशक (आई एस-1) एवं  
केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी)

F.No.13034/494/2013-CPD-Plg.Cell  
Government of India  
Ministry of Home Affairs

298

New Delhi, the 21<sup>st</sup> February, 2014

To

Shri Chintu Mangilal Jain  
151, Red Cross Bhawan,  
Opp-Bus Stand,  
Nani Daman - 396210

**Sub.: Information under RTI Act, 2005.**

Sir,

Please refer to your RTI application dated 27.12.2013 (received in the office of undersigned on 3<sup>rd</sup> February, 2014) seeking information under RTI Act, 2005 has been transferred to the undersigned for appropriate action.

2. Your RTI application is being transferred to the CPIOs of Ministry of Home Affairs under sub section (3) of Section 6 of RTI Act, 2005 with the request to furnish the requisite information directly to the applicant. The information in respect of Sections under the charge of undersigned will be sent shortly.

3. The name and address of the Appellate Authority in terms of Section 19 of the RTI Act. 2005 is given below:-

Shri Iqbal Singh Chahal,  
Joint Secretary (UT).MHA,  
North Block,  
New Delhi.

Yours faithfully,



(Neeta Gupta)

Dy. Secretary (ANL)&CPIO

The copy of application dated 27.12.2013, of Shri Chintu Mangilal Jain is forwarded to all CPIOs in MHA. They may send reply to the applicant directly.

D-3 O/A

USERS I

So/Secy 27/2/14

valeriyev  
Guliy

CR-23/084/JS(VT)/14

(Lk)

297


प्रपत्र - 1 - ए 31,

सूचना के लिए आवेदन प्रपत्र

(अंग्रेजी भाषा क्षेत्रीय/हिंदी/में भरा जाये)

सेवा में,  
संयुक्त सचिव (यू.टी),  
केंद्रीय जन सूचना अधिकारी  
गृह मंत्रालय  
नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली.

दिनांक: 27/12/2013



(अ) आवेदक का विवरण :-

नाम: चिन्द्र मांगिलाल जैन  
उम्र: 68 वर्ष  
पता एवं फोन नंबर: 151, रेड क्रॉस भवन, नानी दमन बस स्टैंड के सामने, नानी दमन-396210 फोन - 09408887777

चिन्द्र मांगिलाल जैन  
प्रधान संपादक  
क्रांति भास्कर

31 वर्ष

151, रेड क्रॉस भवन, नानी दमन  
बस स्टैंड के सामने, नानी दमन-396210  
फोन - 09408887777

(ब) जानकारी का ब्योरा मांगा :-

1. संघ प्रदेश दादरा एवं नगर हवेली लोक सभा सांसद द्वारा गृह मंत्रालय तथा गृह सचिव एवं संयुक्त सचिव यू-टी के कार्यालय में प्राप्त हुए, निवेदन/आदेश/शिफारिश/शिकायत तथा अन्य प्राप्त पत्रों की दिनांक जनवरी 2010 से नवम्बर 2013 तक कि, नीचे लिखी निम्नलिखित सूचना उपलब्ध कराएं।
2. उक्त समय में कुल कितने पत्र प्राप्त हुए।
3. उक्त समय में प्रति वर्ष कितने पत्र प्राप्त हुए।
4. पत्रों की दिनांक एवं विषय उपलब्ध कराएं तथा उक्त प्राप्त पत्रों का आवक एवं जावक संख्या उपलब्ध कराएं।
5. कृपया पत्रों के अनुसार जानकारी उपलब्ध कराएं की, उक्त पत्रों के जावाब/समाधान हेतु पत्र किसे अग्रेसित किया गया, अग्रेसित करने की दिनांक तथा अग्रेसित पर प्राप्त टिप्पणी, तथा वास्तविक स्थिति उपलब्ध कराएं।
6. उक्त समय में प्राप्त सभी पत्रों की प्रमाणित प्रति उपलब्ध कराएं।
7. उक्त पत्रों में भ्रष्टाचार का विषय तथा भ्रष्टाचार की समस्या के प्रति कुल कितने पत्र प्राप्त किए।
8. उक्त पत्रों के माध्यम से कितने विषयों में जांच की मांग की गई, तथा किस संबंध में जांच की मांग की गई।

URGENT

Ms RS  
3/2

उक्त पत्रों में कितने अधिकारियों के तबादले की मांग की गई। उक्त अधिकारियों के नाम एवं पदनाम बताए, तथा पत्रों की प्रमाणित प्रति उपलब्ध कराएं।

296

उक्त पत्रों में कितने अधिकारियों के तबादले रोकने की मांग की गई। उक्त अधिकारियों के नाम, पदनाम उपलब्ध कराएं, तथा पत्रों की प्रमाणित प्रति उपलब्ध कराएं।

11. उक्त समय में निवेदन/आदेश/शिफारिश तथा अन्य प्राप्त पत्रों की प्रमाणित प्रति उपलब्ध कराएं।


12. सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6 (3) के रूप में लागू किया जाए, कृपया और जहां जरूरी हो सकता है

(स) फार्म /जानकारी मांगी है जिसमें प्रारूप:

- (i) फोटो कॉपी
- (ii) ई-मेल के माध्यम से [cmjain777@gmail.com](mailto:cmjain777@gmail.com)
- (iii) (कॉम्पैक्ट डिस्क) (सीडी) में यदि कोई हो, उसी के लिए निर्धारित शुल्क का भुगतान करने के लिए तैयार हूँ.

(द) अभिलेखों के निरीक्षण:

- (i) रिकॉर्ड का निरीक्षण करने के अनुरोध से संबंधित है? हां (नहीं /: नहीं
- (ii) यदि हाँ, दिन आवेदक की संख्या प्रासंगिक रिकॉर्ड का निरीक्षण करने में समय लग सकता है. \_\_\_\_\_ दिन.

  
आवेदक के हस्ताक्षर.

कार्यालय उपयोग के लिए केवल

आवेदन प्राप्त करने की तिथि:

जानकारी की आपूर्ति करने की तिथि:

दिन (30)के भीतर. मूल्यांकन :Rs. \_\_\_\_\_

नाम और पदनाम के साथ हस्ताक्षर  
जन सूचना अधिकारी की

रसीद

में अपने आवेदन के अनुसार जानकारी प्राप्त की और मैं संतुष्ट हूँ

आवेदक के हस्ताक्षर  
दिनांक: / /



सं. 17015/87/2013-आई एस-1

भारत सरकार

गृह मंत्रालय

(आई एस-1 प्रभाग)

\*\*

नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली-110001,

दिनांक: 06 मार्च, 2014

सेवा में

श्री चिटू मांगीलाल जैन,  
151, रैड क्रॉस भवन,  
बस स्टैंड के सामने,  
नानी दमण-396210,

विषय : सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत सूचना मांगे जाने के संबंध में आवेदन।

\*\*\*

महोदय,


मुझे सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत विभिन्न सूचना मांगे जाने के संबंध में संयुक्त सचिव (यू टी), केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी, गृह मंत्रालय को संबोधित आपके दिनांक 25.12.2013 के आवेदन का संदर्भ लेना है जिसे सुश्री नीता गुप्ता, उप सचिव एवं केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी के दिनांक 21.02.2014 के पत्र सं. 13034/494/2013-सी पी डी-प्लानिंग के द्वारा अधोहस्ताक्षरी केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी सहित (03.03.2014 को प्राप्त) इस मंत्रालय के सभी केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारियों को अंतरित किया गया था।

2. इस संबंध में बिन्दुवार उत्तर निम्नानुसार दिया गया है:-

बिंदु सं. 1 से 6 : चूंकि यह विषय-वस्तु अधोहस्ताक्षरी केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी से संबंधित नहीं है, इसलिए सूचना 'शून्य' मानी जाए।

3. सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19(1) के तहत, इस उत्तर की प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर एक अपील उस प्रथम अपील प्राधिकारी के सम्मुख दायर की जा सकती है, जिसका विवरण नीचे दिया गया है:-

श्री राकेश सिंह,  
संयुक्त सचिव (आई एस-1),  
गृह मंत्रालय,  
नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली-110001



भवदीय,

*(Signature)*  
06.03.2014

(राजेश कुमार गुप्ता)

निदेशक (आई एस-1) एवं  
केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी)

**MOST IMMEDIATE**  
**RTI MATTER**

F.No.13034/494/2013-CPD-Plg.Cell  
Government of India  
Ministry of Home Affairs

...  
New Delhi, the 21<sup>st</sup> February, 2014

To

Shri Chintu Mangilal Jain  
151, Red Cross Bhawan,  
Opp-Bus Stand,  
Nani Daman - 396210

**Sub.: Information under RTI Act, 2005.**

Sir,

Please refer to your RTI application dated 25.12.2013 (received in the office of undersigned on 3<sup>rd</sup> February, 2014) seeking information under RTI Act, 2005 has been transferred to the undersigned for appropriate action.

2. Your RTI application is being transferred to the CPIOs of Ministry of Home Affairs under sub section (3) of Section 6 of RTI Act, 2005 with the request to furnish the requisite information directly to the applicant. The information in respect of Sections under the charge of undersigned will be sent shortly.

3. The name and address of the Appellate Authority in terms of Section 19 of the RTI Act. 2005 is given below:-

Shri Iqbal Singh Chahal,  
Joint Secretary (UT).MHA,  
North Block,  
New Delhi.

Yours faithfully,

(Neeta Gupta)

Dy. Secretary (ANL)&CPIO

D-3 - on leave  
US (IS-I)

The copy of application dated 25.12.2013, of Shri Chintu Mangilal Jain is forwarded to all CPIOs in MHA. They may send reply to the applicant directly.

US (IS-I)  
PI. PIV. 3/3/14.  
So 152 27/3/14

4th Dec 2014  
61114

(14)

प्रपत्र - 1 - ए



सूचना के लिए आवेदन प्रपत्र  
(अंग्रेजी भाषा क्षेत्रीय/हिंदी/में भरा जाये)

CR. 231105/JM(ED)114  
3/1

288

सेवा में,  
संयुक्त सचिव (यू.टी),  
केंद्रीय जन सूचना अधिकारी  
गृह मंत्रालय  
नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली.

दिनांक : 25/12/2013



(अ) आवेदक का विवरण :-

नाम:

चिन्टू मांगिलाल जैन  
प्रधान संपादक  
क्रांति भास्कर

31 वर्ष

पता एवं फोन नंबर :-

151, रेड क्रॉस भवन, नानी दमन  
बस स्टैंड के सामने, नानी दमन-396210  
फोन - 09408887777

(ब) जानकारी का ब्योरा मांगा :-

1. जनवरी 2013 से नवंबर 2013 तक गृह मंत्रालय, गृह सचिव, एवं संयुक्त गृह सचिव यू-टी के द्वारा तथा उनके कार्यालयों द्वारा, संध प्रदेश दादरा एवं नगर हवेली प्रशासक/प्रशासन को जारी किए, आदेश, निर्देश, निवेदन, अथवा सूचनाओं की निम्नलिखित जानकारी उपलब्ध कराएं।
2. उपरोक्त समय में संध प्रदेश दादरा एवं नगर हवेली प्रशासक/प्रशासन को विभागीय जांच/विभागीय अधिकारियों की जांच एवं अन्य किसी जांच से संबन्धित जारी आदेश, निर्देश, निवेदन, की प्रमाणित प्रति उपलब्ध कराएं।
3. उपरोक्त समय में संध प्रदेश दादरा एवं नगर हवेली प्रशासक/प्रशासन को विभागीय अधिकारियों के तबादले, पददोन्नति, एवं नियुक्ति के संबन्धित जारी आदेश, निर्देश, निवेदन, की प्रमाणित प्रति उपलब्ध कराएं।
4. उपरोक्त समय में संध प्रदेश दादरा एवं नगर हवेली प्रशासक/प्रशासन को कुल कितने पत्र अग्रेसित किए गए।
5. उपरोक्त समय में संध प्रदेश दादरा एवं नगर हवेली प्रशासक/प्रशासन से कुल कितने अग्रेसित पत्र पर टिप्पणी मांगी गई।

RTI

JSD(ED)  
AS/ANL/JSD

31/1/14  
3/1

Leadoff  
3/2  
CPD Section

नाथल

Page 1 of 2

गृह मंत्रालय  
3/2

